न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 49 / 2023

1 रतनलाल उम्र 67 साल पुत्र भगवती (भगवती पत्नी मोहनलाल)
2 सांवरमल उम्र 57 साल पुत्र भगवती (भगवती पत्नी मोहनलाल)
समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम भगवानदास विवाह स्थल के पास गंगा भुआ का मकान पालवास रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांट्स

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र नथमल
2 मदन पुत्र नथमल
3 बनवारी पुत्र नथमल
4 हरिराम पुत्र नथमल
5 श्रीराम पुत्र रामनिवास
6 कैलाश पुत्र रामनिवास
7 पाना देवी पत्नी रामनिवास
8 गुलाब पुत्र रामेश्वर
9 मोतीलाल पुत्र रामेश्वर
10 हेमन्त पुत्र श्यामलाल
11 धीरज पुत्र श्यामलाल
12 सांवरमल पुत्र बिहारी
13 राजू पुत्र नन्दलाल
14 रामपाल पुत्र महावीर
15 रजनीकान्त पुत्र महावीर
समस्त जाति कुमावत निवासीगण बिहारी मार्ग गणेशजी के मंदिर के पास चेजारों का मौहल्ला सीकर तहसील व जिला सीकर।
16 रामजीवण पुत्र भगवती (भगवती पुत्री गंगा देवी पत्नी मोहनलाल)
17 पूर्णमल पुत्र भगवती (भगवती पुत्री गंगा देवी पत्नी मोहनलाल)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 रामकुमार पुत्र भगवती (भगवती पुत्री गंगा देवी पत्नी मोहनलाल) समस्त जाति कुमावत निवासीगण भगवानदास विवाह स्थल के पास, गंगा भुआ का मकान, पालवास रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

19 पुरूषोतम पुत्र मोहरी (मोहरी पत्नी टीसूराम)

20 विनोद पुत्र मोहरी (मोहरी पत्नी टीसूराम)

21 राजेन्द्र पुत्र मोहरी (मोहरी पत्नी टीसूराम)

22 निजामुदीन पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला हुसैनगंज सीकर तहसील व जिला सीकर।

23 डॉ. इन्द्राज सिंह पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी शेखपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

24 विनोद सिंह दत्तक पुत्र रड़मलराम जाति जाट निवासी बिडोली तहसील व जिला सीकर।

25 उप पंजीयक सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

26 पटवारी हल्का नानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

27 तहसीलदार सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अदेश दिनांक 16.05.2023 मु.नं.
89/2023 बउनवानी रतनलाल वगै. बनाम
रामगोपाल वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर। अपील अ. धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरचंद गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री निर्मल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री मामचन्द मूण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
6. श्री मुकेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
7. श्री सुरेश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.1.26

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत भूमि खसरा नम्बर नये खसरा नम्बर 958, 1010, 1011, 1012, 1013, वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी कर दिये। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य जिससे वादग्रस्त भूमियां अपीलान्टस की पैत्रिक होना प्रमाणित थी का बिना अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण किए केवल मात्र सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी करने का आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। इसलिए आदेश दिनांक 16.05.2023 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 आरटीएक्ट में वर्णित भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति यथावत रखने, निर्माण, विक्रय नही करने से प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सशपथ प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज साक्ष्य के रूप से अपने पूर्वजों का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु सहायता चाही थी जिन दस्तावेजों पर एवं शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थीगण के पहचान पत्र जिनमें गंगा भुआ का मकान अंकित कर रखा है से प्रथम दृष्टया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामला प्रार्थीगण/अपीलान्ट के पक्ष में प्रमाणित होते हुए भी रेस्पोडेन्टस को प्रतिबंधित नहीं करने का एवं केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश पारित करके विधिक भुल की है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस को भूमि खसरा नम्बर 1010 रकबा 1.2400 है., खसरा नम्बर 1011 रकबा 1.0500 है., खसरा नम्बर 1012 रकबा 1.4600 है., खसरा नम्बर 1437/1013 रकबा 0.12 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.8700 है. एवं खसरा नम्बर 1438/1013 रकबा 1.94 है., खसरा नम्बर 1727/958 रकबा 0.4900 है. वाके ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने, निर्माण नहीं करने, विक्रय नहीं करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना न्याय संगत है। अपीलान्टस के द्वारा विचारण न्यायालय में वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त भूमियों को अकृषि में बदलने, भूखण्डों में विक्रय करने, मनचाहे स्थान पर निर्माण करने कब्जा करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस ने उक्त अपील विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.05.2023 से अपने आपको व्यथित होकर प्रस्तुत की है और अनुतोष में आदेशिका दिनांक 16.05.2023 को निर्णय कथित कर उसमें संशोधन चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज करने का आदेश पारित कर तलबी हेतु नोटिस जारी करने का उल्लेख है। धारा 2 (9) (14) जा.दी. के मुताबिक प्रकरण को दर्ज कर विपक्षीगण को तलब करना किसी क्रमशः आदेश अथवा निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्टस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 225 आर.टी.एक्ट

1955 के तहत आदेश की अपील होती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रकरण में की गई कार्यवाही आदेश नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्टस पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। आदेशिका दिनांक 16.05.023 धारा 104, 105 जा.दी. के मुताबिक भी अपील योग्य नहीं है। धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत अंतिम आदेश जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित दरख्वास्त पर पारित किया गया है तथा धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 में वर्णित कोई आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध ही अपील हो सकती है अन्यथा नही। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अनुसार कोई आदेश पारित नहीं किया है। अपील अपीलान्टस पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर नये खसरा नम्बर 958, 1010, 1011, 1012, 1013, वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी कर दिये।

अपीलान्टस ने उक्त अपील विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.05.2023 से अपने आपको व्यथित होकर प्रस्तुत की है और अनुतोष में आदेशिका दिनांक 16.05.2023 को निर्णय कथित कर उसमें संशोधन चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज करने का आदेश पारित कर तलबी हेतु नोटिस जारी करने का उल्लेख है।

धारा 2 (9) (14) जा.दी. के मुताबिक प्रकरण को दर्ज कर विपक्षीगण को तलब करना किसी क्रमशः आदेश अथवा निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्टस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत आदेश की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील होती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रकरण में की गई कार्यवाही आदेश नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्टस पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

आदेशिका दिनांक 16.05.2023 धारा 104, 105 जा.दी. के मुताबिक भी अपील योग्य नहीं है। धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत अंतिम आदेश जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित दरख्वास्त पर पारित किया गया है तथा धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 में वर्णित कोई आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध ही अपील हो सकती है अन्यथा नही। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अनुसार कोई आदेश पारित नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर